न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 45/2024 बउनवानी अमरजीत सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र श्री श्रवण सिंह निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार

GCMS No-2024/113

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
7.11.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 15.7.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील खण्डार मे स्थित मानसरोवर बांध से निकलने वाली मुख्य नहर दौलतपुरा व पाली ग्राम के मध्य मेन रोड से अन्तिम छोर तक ख0न0 281, 282,278,261 की अन्य काश्तकारो द्वारा सिचांई का सम्पूर्ण ब्यौरा राशि विगत 12 वर्षो की सूचना "* तहसीलदार खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:भू0अ0/ 2024/3000 दिनांक 29.10.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.7.2024 में चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक/भू0अ0 /2024/2572 दिनांक 23.9. 2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है " कि पटवारी हल्का दोलतपुरा की रिपोर्ट के अनुसार सम्वत् 2079-80 मे मानसरोवर बांध से निकलने वाली मुख्य नहर से किसी भी काश्तकार द्वारा सिचाई नही की गयी है तथा मुताबिक तहसील रिकार्ड पूर्व के 10 वर्षो की सिचाई खतौनी की सूचना भी शुन्य रही है।" इस प्रकार चाही गयी सूचना संबंधित को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.7.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज़ की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:58:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner